ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-1*February- 2018
Innovation The Research Concept

पंचपरमेश्वर

सारांश

हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को बना लेकिन इससे पहले इसको बहुत से उतार –चढाव से गुजरना पडा है क्योकि हरियाणा 1966 मे बना। लेकिन राज्य का पंचायती राज एक्ट 1994 मे लागू हुआ 1994 तक चुनाव पंजाब के 1952 मे बनाए गए कानून के आधार पर होते रहे है असल में 1994 से पहले प्रदेश में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंचायत समिति एक्ट 1961 लागू था 1994 मे दोनो एक्टों को मिलाकर हरियाणा पंयायती राज एक्ट 1994 लागू हुआ उसके अधार पर पहला पंचायत चुनाव दिसंबर 1994 मे लागू हुआ था पहले पंचायती चुनाव के समय 1994 मे 16 जिला परिषद 110 पंचायत समिति और 5958 पंचायते थी।

इस प्रकार से 1960 से 1980 के दशक मे पंचायती राज व्यवस्था मे सुधार के कई पडाव रहे इस दौरान बलंवत राय मेहता कमेटी, ए एल एम सिंधवी, रणजीत सिंह सरकारिया कमीशन, वीरन गाडगिल कमेंटी, अशोक महेता, आदि ने कई सुझाव दिए इन आयोग और कमेटी के प्रयास से 7 सिंतबर 1990 को लोकसभा भंग होने के कारण यह मामला 2 वर्ष तक अटका रहा इस प्रकार से अगली लोकसभा की बैठक मे 22 दिसंबर 1992 को प्रस्ताव पास हुआ 24 अप्रैल 1993 से यह संशोधन प्रभाव मे आया इससे ग्राम पंचायत सविधान का अंग बन गई तब विभिन्न राज्यों मे पंचायती राज सुधार लागू हुए त्रि–स्तरीय ढांचा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का गठन हुआ। अनुसूचित जाति, जन जाति के साथ ही महिलाओ के लिए एक–एक तिहाई पद् आरक्षित हुए।

पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के तहत सबसे छोटी सरकार का कार्यकाल तीन साल का था पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते और अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा सकते थे पंचायत मे एससी–एसटी वर्ग से एक पंच चुना जाना जरूरी था महिलाओ के लिए कोई कोटा नही था आचार सहिता नही होती थी प्रशासन 3–4 शिक्षको की टीम बनाकर गांवो मे चुनाव कराने के लिए भेजते थे कोई वार्ड नही था और सबसे रोचक बात यह होती थी कि सभी पंच एक ही प्रभावशाली परिवार से चुनकर आ जाते थे।

रोहताश
शोधकर्ता,
राजनीति शास्त्र विभाग,
सिघांनिया विश्वविधालय
पंचेरी बड़ी, राजस्थान

मुख्य शब्द : मुख्य शब्द लिखे

प्रस्तावना

पंचायती राज एक्ट मे संशोधन कर दिया गया इसके तहत गांव का मतदाता सीधे तौर पर सरपंच का चुनाव कर सकता था और पंचायत का कार्यकाल 3 साल से बढाकर 5 साल कर दिया गया उसके बाद 1971 तक आते आते फिर से पंचायती एक्ट बदल गया बंसीलाल सरकार ने पंचो को दोबारा सरपंच चुनने का अधिकार दे दिया कार्यकाल 5 वर्ष ही रखा गया।

1978 में चौधरी देवीलाल की सरकार ने पंचायती राज एक्ट मे संशोधन करके फिर से सरपंच चुनने का अधिकार मतदाता को दिया गया और पंचायत मे एक सीट महिला के लिए अनिवार्य की गई इसी प्रकार से 1991 मे भजन लाल सरकार ने एक्ट मे मामूली बदलाव किए और पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया।

इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश मे नये नियम लागू किए गए ताकि एक विकसित और विकासशील समाज के सपने को साकार किया जा सके इसीलिए वर्तमान समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश मे पंचायती चुनावो के प्रत्याशीयों के लिए कुछ शर्त लगा दी पहली जो शर्त अनिवार्य रही वह थी शिक्षा 1 महिलाओं और एससी वर्ग के लिए 8 वी और बाकी के लिए 10 वी पास जरूरी किया गया तथा 5 वी पास दलित महिला केवल पंच का चुनाव लड़ सकेगी दूसरी शर्त स्वच्छता के संदर्भ से रखी गई कि चुनाव प्रत्याक्षी के घर मे इस्तेमाल योग्य शौचालय जरूर होना चाहिए तीसरी

शर्त यह रखी गई कि चुनाव प्रत्याक्षी के ऊपर किसी बिजली बिल, सहकारी बैंक और तमाम सरकारी बैको से जो भी देनदारिया है उसका भुगतान करना होगा चौथी शर्त यह रही कि किसी भी चुनाव प्रत्याक्षी का रिकार्ड अपराधिक प्रवृति का नही होना चाहिए और वह किसी भी 10 साल या उससे अधिक की सजा के प्रावधन वाले केसो मे चार्जशीटेड न हो।

इस प्रकार से तमाम शर्तो के लग जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट मे याचिका लगाई गई लेकिन अंत मे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष मे फैसला लिया कि तमाम चुनावी शर्ते लागू रहेगी इस संबंध मे जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस अभय मनोहर स्प्रे की बेंच ने कहा कि चुने जाने का अधिकार मौलिक नही है, खुले मे शौच के तो गांधी जी भी खिलाफ थे, चुने जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नही है संशोंधन से संविधान का उल्लंघन नही हुआ है, जरूरी है कि चुने गए प्रतिनिधि शिक्षित हो ताकि वे अपने कर्तव्यो का निर्वहन सही तरीके से कर सके, टायलेट बनाने के लिए सरकार सहमति देती है ऐसे में अनिवार्यता का फैसला भी सही है भारत मे खुले में शौच की कुप्रथा बहुत पुरानी है इस प्रथा के खिलाफ गांधी जी भी थे उन्होने यह तक कहा था कि आजादी से पहले इस कुप्रथा को खत्म करने की जरूरत है।

समस्याएं

1 पंचायतों को प्रशिक्षण न दिया जाना।
2 पंचायती चुनाव का समय पर न होनां।
3 पंचायती राज संस्थाओं और नौकरशाही के बीच संबंधों का ठीक न होना।
4 पंचायती व्यवस्था में एक ही जाति और एक ही परिवार की भूमिका का होना।
5 आज भी जहॉ महिला प्रत्याक्षी चुनी गई है उनकी जगह परिवार के सदस्य पॉवर का प्रयोग करते हैं

अध्ययन का उद्देश्य

इस प्रकार से इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण परिवेश का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब एक समाज का पढा–लिखा समूह इसमें भागीदारी लेगा, इस प्रकार की शर्तो व बदलाव के कारण एक पढी–लिखी पंचायत का निर्माण होगा, समाज विकास मार्ग पर अग्रसर होगा, लागों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, समाज तरक्की करेगाया गांव तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। इसी कारण से 4116 करोड बिजली का बिल बकाया है सहकारी बैंकों से 163 करोड रूप्ये की रिकवरी हुई है और 132 करोड रूप्ये बिजली बिल की रिकवरी हुई है।

1 पंचायत को अपने काम और अधिकारों के बारे में जानकारी रहेगी।
2 युवा और पढा लिखा वर्ग समाज के विकास में अपना योगदान देने के लिए आगे आएंगे।
3 स्माज को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक प्रति स्पर्धा में कमी आएगी।
4 लेगों का सहारि व सरकारी पैसे के प्रयोग में अंतर आएगा।
5 स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत रहेंगे क्योंकि सरकार का प्रयास शौचालय युक्त प्रदेश बनाने का सपना सार्थक होगा।
6 प्रशासन और पंचायत के मध्य तालमेल बनेगा।

सुझाव

हरियाणा ही नही समूचे भारतवर्ष मे पंचायत व्यवस्था प्रथम ईकाई है इसीलिए इस नीव को मजबूत बनाने के आमजन तथा सरकार द्वारा गंभीर रूप से सोचने की जरूरत है, पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार से है:–

1. पंचायती संस्थाओं के लिए अलग से वित आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
2. पंचायतों के चुनाव मे मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
3. पंचायतों के चुनाव समय पर हो और पंचायते 6 महीने से ज्यादा भंग न हो।
4. क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर प्रशासन की नजर होनी चाहिए।
5. पंचायती अधिकारियों को पंचायतो के साथ तालमेल बनाए रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार से समय की मांग पंचायत की शक्तियो की मांग करती है, इसी कडी मे इसके लिए अनेक कमेटी बनाई गई जैसे – अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय कमेटी इत्यादि, ताकि समाज एक विकासशील पथ पर अग्रसर हो सके और समाज का राजनैतिक, समाजिक और आर्थिक विकास हो सके।

पंचायत मे समय के अनुसार बदलाव देखने को मिलता रहा है क्योंकि आधुनिक युग में पंचायत का स्वरूप बदल गया है क्योकि आज का समाज, युवा, मतदाता इत्यादि को चुनाव का पता और इंतजार रहता है क्योंकि लोकतांन्त्रिक युग में अधिकारो का हनन होने पर एकमात्र साधन वोट है। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हरियाणा में प्रचायती राज व्यवस्था की स्थापना नवम्बर 1966 में हुई थी। लेकिन भारत में 1884 में पंचायती राज की स्थापा हो गई थी और लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। भारत की 15 अगस्त 1947 की आजादी के बाद पंचायती राज को स्थापित करने के लिए बलवंत राय, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। उसके बाद निरन्तर प्रयासों के बाद 1994 मे 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। शोधकर्ता अपने शोधपत्र के माध्यम से यह शोध करना चाहता है कि हरियाणा प्रदेश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे – अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और परिवारवाद इत्यादि। लेकिन वर्तमान समय में सरकार और प्रशासन की तरफ से अनेक कार्यक्रमों, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं इत्यादि के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के लिए अनेक प्रकार प्रयास किए जाते रहे हैं।

संदर्भ–ग्रन्थ सूची

1 *सर्वखाप पंचायत राष्ट्रीय पराक्रम लेखन निहाल सिंह आर्य।*
2 *भारत का अध्ययन लेखन, हरमन कुलके एण्ड डाईपमार।*
3 *महाभारत प्रथम खण्ड लेखन जमदलाल गोभचन्दका।*
4 *भारत का इतिहास लेखन, ऐलफिस्टोन।*
5 *भारत का शासन एंव राजनीति डां0 गुलशन राय।*
6 *जाट वीरों का इतिहास लेखक कै0 दलीप सिंह पृष्ठ नं0 239–40।*
7 *दिल्ली सल्तनत का इतिहास लेखन विद्याधर महाजन।*
8 *महाभारत प्रथम खंड लेखन जन दयाल गोपाल चन्द्र।*